16/11

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज अपील/टी.ए./4536/2011/अलवर रामकिशन बनाम मनीराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
11-11-11	**खण्डपीठ** **श्री करणसिंह, राठौड, सदस्य** **श्री ताराचन्द सहारण, सदस्य** उपस्थित- श्री जगदीशप्रसाद माथुर, अधिवक्ता, अपीलार्थी श्रीमती पूनम माथुर, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण **निर्णय** अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-6-2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि पूर्व में प्रार्थीगण द्वारा अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत की गयी थी जिसे प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र पर दिनांक 11-7-2011 को आदेश पारित करते हुए अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में परिवर्तित किया गया है। आलोच्य आदेशानुसार राजस्व अपील प्राधिकारी ने उनके न्यायालय में लम्बित अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र पर आदेश पारित करते हुए विवादित आराजी के 1/2 हिस्से के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश पारित किया है। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के न्यायालय में वादी प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रतिवादी अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत एक राजस्व वाद दिनांक 19-2-2007 को प्रस्तुत किया। उक्त वाद विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 17-3-2011 को अदम अनुपालना आदेश 9 नियम 5 सिविल प्रकिया संहिता में खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध वादी प्रत्यर्थीगण की ओर से अपीलीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 14-6-2011 को मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की तथा अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र एकतरफा में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका यह भी कथन है कि आदेश 41 निमय 31(ए) सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार जब तक अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा कर अपील को सक्षम घोषित नहीं किया जाता तब तक अपीलीय न्यायालय मियाद बाहर प्रस्तुत अपील में किसी प्रकार का स्थगन आदेश जारी करने में सक्षम नहीं है। जैसा कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 2006 आर.बी.जे. पेज 78 में	

WR

Only

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज अपील/टी.ए./4536/2011/अलवर रामकिशन बनाम मनीराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

कानूनी व्यवस्था दी है। अतः अपील को विचारार्थ ग्रहण कर पारित आदेश की कियान्विति को स्थगित किया जावे।

इसके विपरीत प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की है, वर्तमान में मूल अपील अपीलीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील प्रथम दृष्ट्या ही संधारण योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन से प्रकट होता है कि उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के न्यायालय में वादी प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रतिवादी अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत एक राजस्व वाद दिनांक 19-2-2007 को प्रस्तुत किया। उक्त वाद विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 17-3-2011 को अदम अनुपालना आदेश 9 नियम 5 सिविल प्रकिया संहिता में खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के विरुद्ध वादी प्रत्यर्थीगण की ओर से अपीलीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 14-6-2011 को मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय द्वारा वादी प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को दिनांक 21-6-2011 को दर्ज रजिस्टर कर अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। प्रकरण का गुणावगुण पर विवेचन करने से पूर्व में हम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 एवं सिविल प्रकिया सहिता में इसके समानान्तर प्रावधान आदेश 39 नियम 3 का उल्लेख करना उचित समझते है, जो निम्नानुसार है-

धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 —

212-Provision for injunction and appointment of a receiver -

(1) If in the course of any suit or proceeding under this Act, it is proved by affidavit or otherwise.
(a) That any properpty to which such suit or proceeding relates is in danger of being wasted, damaged or alienated by any party thereto, or
(b) that any party to such suit or proceeding threatens or intends to remove or dispose of the said property in order to defeat the ends of ljustice, the court may grant a temporary injunction and, if necessary, appoint a receiver.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज अपील/टी.ए./4536/2011/अलवर रामकिशन बनाम मनीराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

(2) Any person against whom an injunction has been granted or in respect of whose property a receiver has been appointed under sub-section (1) may officer cash security in such amount as the court may dketermine to compensate the opposite party in case the suit or proceedings is decided against such persons, and on depositing the amount of such security, the court may withdraw the injunction or the order appointing a receiver, as the case may be.

आदेश 39 नियम 3 –

3. Before granting injunction, Court to direct notice to opposite party-

The Court shall in all cases, except where it appears that the object of granting the injunction would be defeated by the delay, before granting an injunction, direct notice of the application for the same to be given to the opposite party:

[Provided that, where it is proposed to grant an injunction without giving notice of the application to the opposite party, the Court shall record the reasons for its opinion that the object of granting the injunction would be defeated by delay, and require the applicant-

(a) to deliver to the opposite party, or to send to him by registered post, immediately after the order granting the injunction has been made, a copy of the application for injunction together with-

(i) a copy of the affidavit filed in support of the application.
(ii) a copy of the plaint; and
(iii) copies of documents on which the applicant relies, and
(b) to file, on the day on which such injunction is granted or on the day immediately following that day, and affidavit stating that the copies aforesaid have been so delivered sent.]

उक्त के अतिरिक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में यह भी स्पष्ट रूप से प्रावधित किया गया है कि जहां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है वहां सीपीसी के अंतर्गत प्रावधित प्रावधान लागू होता है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 एवं सीपीसी के आदेश 39 के ऐसे प्रावधान, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्यथा न हो, अस्थाई व्यादेश के प्रकरणों में लागू होते है।

उक्त प्रावधानों का एक साथ अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के पहले विपक्षी पक्ष को सुना जाना आवश्यक है परन्तु साथ ही न्यायालय को आदेश 39 नियम 3 के अनुसार यह शक्ति भी प्रदान की गयी है कि यदि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का हो तो अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थनापत्र में एकपक्षीय आदेश भी पारित किया जा सकता है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज अपील/टी.ए./4536/2011/अलवर रामकिशन बनाम मनीराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को विधिसम्मत् आदेश होना नहीं माना जा सकता है। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर लागू होता है जिसमें धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र पर सर्वप्रथम आदेश पारित किये जाने के उपरान्त ही प्रस्तुत अपील में अग्रिम कार्यवाही किये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के परिणामस्वरूप अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील श्रवणार्थ ग्रहण किये जाने के स्तर पर स्वीकार की जाती है तथा भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-6-2011 निरस्त किया जाकर प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर अधिकतम् 30 दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से करेगें।

उभय पक्ष को जरिये अधिवक्तागण पाबन्द किया जाता है कि वे भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के न्यायालय में दिनांक 02-12-11 को उपस्थित होकर अपील के शीघ्र निस्तारण में न्यायालय में सहयोग प्रदान करेगें।

उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण को नियमानुसार निर्णय से सूचित किया जावे।

निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर को नियमानुसार भिजवाई जावे।

पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11-11-2011

(ताराचन्द सहारण)
सदस्य

(करणसिंह राठौड) 11/11/11
सदस्य